फर्द अहकाम

न्यायालय ---

--------------------------- बनाम ---------------------------

मुकदमा संख्या/वर्ष : ____________/20__

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21/2/24	पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राजकीय कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली अनुसार दिनांक 29/5/24 को पेश हो।
	29/5/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी पैरोकार एडवोकेट उप० नहीं। पत्रावली व राजस्व रिकार्ड का आद्योपान्त अवलोकन करने पर इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाके ग्राम सुखोलपुरा मे स्थित साबिक ख०न० 94 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा वर्तमान भू-प्रबन्ध से पूर्व राजकीय सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड थी। मिसल बंदोबस्त सन् 1929-2009 के मुताबिक साबिक ख०न० 94 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा के हाल ख०न० 77 रकबा 0.05 हे०, 119/123 रकबा 0.72 हे० किता-2 कुल रकबा 0.77 हे० बने है। साबिक ख०न० 94 जो पूर्व राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज थी उसी से हाल ख०न० 77 रकबा 0.05 हे० मुताबिक मिसल बंदोबस्त 1929-2009 बना है हाल जमाबंदी मे ख०न० 77 रकबा 0.05 हे० गोपालदास, रामदास, लक्ष्मणदास, श्यामदास, सुन्दरदास, हनुमानदास पि० भगवानदास जाति महाजन निवासी सौभाग्य भवन चौड़ा रास्ता जयपुर के नाम दर्ज है। भू प्रबन्ध विभाग को सेटलमेन्ट के दौरान राजस्व रिकार्ड मे पूर्व प्रविष्टियाँ दोहराना चाहिए था भू-प्रबन्ध विभाग को नवीन प्रविष्टि दोहराने का हक व अधिकार नहीं है। [illegible] जर्ये तहसीलदार सांगानेर का प्रा०पत्र 136 [illegible] स्वीकार किया जाकर आदेश [illegible] ग्राम सुखोलपुरा तहसील सांगानेर [illegible] ख०न० 94 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा से बने हाल ख०न० 77 रकबा 0.05 हे० मे दर्ज खातेदारान के नाम खारिज किया [illegible] राजस्व रिकार्ड मे सिवायचक दर्ज किया जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार सांगानेर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.06 13:47:33 IST
Reason: SelfAttested